न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 01/2019 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

1. कुंजबिहारी पुत्र सामलिया (मृतक)
1/1 देवकीनन्दन पुत्र कुंजबिहारी
1/2 सुरेशचन्द पुत्र कुंजबिहारी
1/3 गोपालकृष्ण पुत्र कुंजबिहारी

} जाति ब्राहमण निवासी कस्बा वैर जिला भरतपुर

2. रोशनलाल पुत्र हरचन्दा (मृतक)
2/1 मानसिंह पुत्र रोशनलाल
3. गीतादेवी पत्नी मानसिंह
4. सत्यनारायन पुत्र दीनदयाल

} जाति धाकड निवासी बिचपुरीपट्टी तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 0–19 वीघा वाकै ग्राम विचपुरी पटटी तहसील वैर नवीन 468 रकवा 0.15 हैक्टर निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री पंकज कुमार अधिवक्ता, अप्रार्थी0 संख्या–4
3. श्री दुलीचन्द शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–3 व 2/1
4. श्री खैमसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0–1/1 लगा0 1/3

निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्राथी तहसीलदार वैर द्वारा यह रैफरेस इस आशय का प्रस्तुत किया है कि संक्षेप में वितरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकवा 0.19 बीघा ग्राम विचपुरी पटटी तहसील वैर भूमि किस्म गैरमुमकिन झेरा का आवंटन दिनांक 20.10.1972, 08.12.1972

अप्रार्थीगण को किया गया जिसका गैर खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 132, 134 से अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये है। जरिये नामान्तरकरण सख्या 159 से अप्रार्थीगण को खातेदारी दी गई है। तहसीलदार ने कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, एवं राजस्थान भू राजस्व आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत ऐसी आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है। इस लिये आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः नामान्तरकरण संख्या 132, 134, 159 एवं 340, 413 निरस्त किये जाकर तथा विवादित आराजी में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किये जाकर विवादित आराजी को पूर्ववत गैर मुमकिन झेरा दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि खसरा नम्बर 1521 रकवा 0.19 बीघा (नवीन खसरा नम्बर 468 रकवा 0.15 है0) किस्म गैरमुमकिन झेरा वाकै ग्राम बिचपुरी पट्टी तहसील वैर में स्थित है। आराजी का आवंटन दिनांक 20.10.1972 एवं 08.12.1972 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को किया गया है जिसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 132, 134 दर्ज होकर तस्दीक होने पर अप्रार्थी गैरखातेदार दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 159 से अप्रार्थीगण को खोतदारी दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धानुसार एवं नियम 4 राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है, इसलिये आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है, जब आवंटन ही शून्य है तो उसके प्रतिफल गैरखातेदारी व खातेदारी स्वतः ही शून्य हो जाती है तथा वर्तमान इन्द्राज शून्य योग्य है। उक्त आवंटन नदी, नाले आदि सन् 1961 के बाद के है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के डी.बी. सिविल याचका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसार अनियमित है, जो काबिल खारिज के है एवं निर्देशानुसार सन् 1961 से पूर्व की स्थिति बहाल करना अनिवार्य है। अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.19 वीघा गै0मु0 झेरा पर हुक्मन व खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 132, 134, 159 को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति गैरमुमकिन झेरा दर्ज कराये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रैफरेंस करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकवा 19 विस्वा बाकै ग्राम बिचपुरी पट्टी तहसील वैर हमारे पूर्वजों की खुदकाश्त आराजी थी। खातेदारी के लिये न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के यहां दावा किया गया जो डिक्री कर दिया गया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर मे की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने प्रकरण सहायक कलक्टर वैर को रिमान्ड किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना को प्रकरण रिमान्ड होने पर पुनः सुनवाई कर दावा डिक्री कर दिया गया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां की गई जो दिनांक 03.08.1989 को खारिज कर दी गई जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने खारिज कर दी। इस प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश पर विवादित आराजी पर पहले स्व0 गोला उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी के पिता दीनदयाल वर्तमान में उनका पुत्र सत्यनारायन काबिज खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार वैर को इन सब तथ्यों की जानकारी थी फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर रैफरेंस किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण का कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 1521 कभी भी गैरमुमकिन झेरा नही रही है। सम्पूर्ण आराजी पर सिचाई से खेती–बाडी होती आ रही है। विवादित आराजी कभी भी गैरमुमकिन झेरा नहीं रही है, पूर्वजो के समय सिचाई के लिये कुआं वगैरा बनाने पर मिट्टी डहने/हटने से कुछ स्थान पर पानी भर जाता है, उसके आधार पर गलत रूप से विवादित आराजी से तत्समय गैरमुमकिन झेरा कर दिया गया जो न्याय संगत नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात सिवायचक के आधार पर आंवटित की गई है। आवंटन होने के पश्चात ही राशनलाल पुत्र हरचन्दा के नाम के नाम जरिये नामान्तरकरण खातेदारी के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये है। आवंटन आदेश को आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। राशनलाल की विरासत में मानसिंह के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। विचाराधीन रैफरेंस खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध जबाब रैफरेंस, लिखित बहस अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है, का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत रैफरेस विवादित आराजी खसरा नम्बर 1521 रकवा 0.19 विस्वा बाकै ग्राम बिचपुरी पट्टी तहसील वैर भूमि किस्म गैरमुमकिन झेरा अंकित करते हुये अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन के जरिये खोले गये नामान्तरकरण संख्या 159 को आर.टी.ए. की धारा 16 एवं अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में विवादित आराजी (गैरमुमकिन झेरा) को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में जमाबन्दी सम्बत 2005 अर्थात (1949–50) में खतौनी संख्या 73 शामलात देह मजकूरान (भूमि अभिधारी) खुदकाश्त हरचन्दा शामलात देह (गांव की सार्वजनिक भूमि) दर्ज है जिसमें बन्दोबस्ती हाल का उल्लेख है जिससे यह प्रतीत होता है कि संक्षिप्त बंदोवस्ती कार्य हुआ है। हरचन्दा व उसके उत्तराधिकारियों को माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना द्वारा खातेदार उक्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया तत्पश्चात उक्त निर्णय के विरूद्ध उक्त आराजी के आवंटी जिन्हे 1973 में आवंटन हुआ अपील प्रथम माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा क्योकि वक्त जमाबन्दी सम्बत 2005 में हरचन्दा खुदकाश्त के रूप में दर्ज था जो कि आवंटी नहीं था। ऐसे में उस समय खसरा नम्बर 1521 रकवा 19 विस्वा गैरमुमकिन झेरा दर्ज था। गैरमुमकिन झेरा मूलतः पानी से भरा एक छोटा सा टांका बाबडी नुमा होता है जो प्राकृतिक भी हो सकता है अथवा मानक द्वारा निर्मित सिचाई के प्रयोजन से खोदा गया। जमाबन्दी सम्वत 2018–2021 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1521 रकवा 19 विस्वा पानी के नीचे डूबे हुये चाहत झेरा गैरमुमकिन झेरा के रूप में दर्ज है। सम्वत 2025–2028 में भूमि गैरमुमकिन झेरा के रूप में दर्ज है। सम्वत 2029 से आदिनांक तक विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन के रूप में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के मध्य विभिन्न न्यायालयों में बाद चले है एवं आराजी खसरा नम्बर 1521 ग्राम विचपुरी पटटी के संबंध में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.1995 गोला पुत्र हरचन्दा को खातेदार काश्तकार माना है। वकील अप्रार्थी की आपत्ति है कि उक्त मुकदमें में राजस्थान सरकार भी पक्षकार रही है इसलिये अब राजस्थान सरकार को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रैफरेस कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं है। अपनी इस दलील के समर्थन में उन्होने न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 523 पेश की। यह सही है अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को लेकर विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वाद चले है परन्तु हस्तगत प्रकरण विवादित आराजी की प्रतिबंधित किस्म के कारण तहसीलदार वैर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी भी न्यायालय मे कोई आपत्ति या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वकील अप्रार्थी की उक्त आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तहसीलदार वैर द्वारा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में हस्तगत प्रकरण रैफरेंस हेतु प्रस्तुत किया है। धारा 16 में भूमियां जिसमें खातेदारी अधिकार प्रोतभूत नहीं होगे उनका विवरण दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 16(2) में नदी तल या तालाब की भूमि आकस्मिक या कभी–कभी कृषि के लिये प्रयुक्त हो। धारा 16(3) सिघाडा अथवा तत्सदृश उपज पैदा करने के लिये प्रयुक्त जल मग्न भूमि, 16(4) भूमि जो बदल बदल कर की जाने वाली कृषि या अस्थायी कृषि के लिये प्रयोग में आती हों। पत्रावली में ऐसी कोई जांच या तथ्य नहीं है जिससे भूमि उक्त प्रतिबंधित किस्म का होना स्पष्ट होता है। प्रस्तुत प्रकरण मे भूमि की किस्म गैरमुमकिन झेरा है। वकील अप्रार्थी का कथन है कि गांव में सिचाई के लिये बनाई गई कुईयां की मिट्टी ढहने से गडढानुमा संरचना "झेरा" है। यदि उक्त कुईयां मानव निर्मित है तो ऐसी स्थिति में रैफरेंस पोषणीय नहीं है। अब्दुल रहमान प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि नदी नाले आदि की भूमि दिनांक 15.08.1947 की स्थिति में वापिस लाई जाये। इस हेतु आवश्यक है कि दिनांक 15.08.1947 को विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की क्या स्थिति थी, तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध हो। आर.आर.टी. 2016(1) पेज संख्या 399 निम्नानुसार प्रतिपादि हैः–

> "अब्दुल रहमान प्रकरण यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि नदी/नाले आदि की भूमि दिनांक 15.08.1947 की स्थिति में वापिस लाई जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक है कि जिस विवादित आराजी का रैफरेस पेश किया गया है उस आराजी की दिनांक 15.08.1947 को राजस्व अभिलेख में व मौके की क्या स्थिति थी उसका भी दस्तावेजी सबूत पत्रावली के साथ पेश हो। यदि भूमि को आवंटन/नियमन किया गया तो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आवंटन/नियमन से सम्बन्धित मूल पत्रावली या उससे सम्बन्धित मूल दस्तावेज भी पत्रावली के साथ पेश होने चाहिये। उक्त दोनों विन्दुओं की पालना अब्दुल रहमान के निर्णय के द्वारा अपेक्षित की गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बाबत कोई कार्यवाही नही कर मात्र औपचारिकता पूरी करते हुये रैफरेंस सरसरी तौर पर नामान्तरकरण की प्रति पेश करते हुये प्रस्तुत कर दिया है।"

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 मे राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की क्या किस्म थी, इससे सम्बन्धित कोई रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में अपने निर्णय दिनांक 02.08.2004 में नदी नालों के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार निर्माण कार्य या खनन कार्य नहीं करने का आदेश दिया है। मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.05.2020 अनुसार विवादित आराजी गैरमुमकिन झेरा (पानी का स्थान) नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण के निर्णय करते समय यह भी देखना आवश्यक है कि आवंटन से नदी/नाले में अपवाह क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न हुआ है या नहीं। जैसाकि माननीय न्यायालय अपने निर्णय आर.आर.टी. 2018(1) सरकार बनाम भदेई व अन्य में पेज नम्बर 141 पैरा संख्या 9 में कहां है कि:–

"उपरोक्त छः प्ररकण में आवंटन वर्ष 1973 के है। एक लम्बे समय के पश्चात बिना पूर्ण जांच के सरसरी तौर पर रैफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को रैफरेंस प्रेषित करने से पूर्व मौका जांच करवाई जाकर यह निष्कर्ष निकालना था कि आवंटन से क्या नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है।"

Reference to cancel the allotment- "No enquriy made as to whether the allotment is creating obstruction in catchment area"

इस पत्रावली में उक्त विषय के सम्बन्ध में तहसीलदार वैर द्वारा कोई जांच किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं न्यायिक नजीरों को दृष्टिगत रखते हुये रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार वैर को उक्त विन्दुओं पर जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार रैफरेंस खारिज किया जाता है प्रार्थी तहसीलदार वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1521 रकवा 0.19 बीघा बाकै ग्राम बिचपुरी पट्टी तहसील वैर की दिनांक 15.08.1947 बाबत राजस्व रिकार्ड व मौके की जांच करें, क्या विवादित आराजी में झेरा प्राकृतिक मूलतः है या मानव निर्मित है या सिचाई के लिये खोदा गया है। वर्तमान में क्या स्थिति है के बाबत जांच करे साथ ही यह भी जांच करे कि विवादित आराजी के आवंटन से क्या नदी नालो के बहाव में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ है। प्रकरण रैफरेस योग्य पाया जोने पर पुनः प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)